



पत्रांक- बि०प्र०सु०भि०सो० / विविध-21/2011 सो।०।०।०।०।१२

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय:- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यालयों में संविदा पर नियोजित आई०टी० सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों का संबंधित कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ पर्याप्त समन्वय का अभाव है।

2. ऐसे भी दृष्टान्त मिले हैं कि जिसमें यह पाया गया कि कतिपय पदाधिकारियों की यह धारणा है कि संविदा पर नियोजित ये कर्मी जिला या मुख्यालय स्तर से नियोजित किये गये हैं एवं उनका प्रशासनिक नियंत्रण भी जिला या मुख्यालय स्तर से संचालित होता है। कुछ मामलों में संविदा पर नियोजित इन कर्मियों के उन्मुक्त आचरण से भी इस धारणा को बल मिलता है।

अतः इस संबंध में कहना है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बेहतर सहयोग हेतु यह आवश्यक है कि जिन कार्यालयों में वे कार्यरत हैं उस कार्यालय के प्रधान के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में वे कार्य करेंगे। उनके अवकाश की स्वीकृति, मानदेय का भुगतान, दैनिक उपस्थिति आदि के संधारण का पूर्ण अधिकार इन कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के कार्यालयों के कार्यालय प्रधान का होगा।

3. यहां यह भी स्पष्ट करना है कि जिला पदाधिकारी संबंधित कार्यालय प्रधान की अनुशंसा पर अथवा स्वतः संतुष्ट होने पर संविदा पर नियोजित इन कर्मियों को जिले के अन्तर्गत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर सकते हैं एवं यदि सेवा में त्रुटि अथवा कदाचार, अनुशासनहीनता आदि के मामले पाये जाते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त करने हेतु वे पूर्णतः सक्षम हैं।

विश्वासभाजन
Mayer
(डॉ बी० राजेन्द्र)
29.10.2012
अपर भिशन निदेशक